न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 41/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भंवरूराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी देशवाल तहसील मेडता जिला नागौर।		1 तहसीलदार मेडता, जिला नागौर। 2 पटवारी हल्का ओलादण तहसील मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

दिनांक: 15.05.2026

निर्णय

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा प्रकरण सं. 02/2025 अनवान सरकार बनाम भंवरूराम में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2025 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.06.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील दिनांक 18.06.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मेडता के निर्णय दिनांक 06.06.25 की फोटोप्रति, तहसीलदार मेडता को प्रस्तुत रिपोर्ट की फोटोप्रति, तहसीलदार मेडता के प्रकरण संख्या 02/25 के फर्दअहकाम दिनांक 27.05.25 से 06.06.25 तक की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, न्यायालय एसडीओ मेडता के निर्णय दिनांक 18.07.24 की फोटोप्रति, तहसीलदार (भू.अ.) मेडता के पत्र दिनांक 05.05.25 की फोटोप्रति, कार्यालय भू. प्रबंध अधिकारी, अजमेर के पत्र दिनांक 20.03.25 व 09.05.25 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.03.25 की फोटोप्रति, कार्यालय एसडीओ मेडता के पत्र दिनांक 18.01.24 की फोटोप्रति, कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मेडता के पत्र की फोटोप्रति, कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के पत्र दिनांक 29.03.24 की फोटोप्रति, तहसीलदार मेडता के नोटिस–5 की फोटोप्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत ओलादन के पत्र की फोटोप्रति, तहसीलदार मेडता को प्रस्तुत नोटिस के जवाब की फोटोप्रति, ग्राम ओलादन के नक्शा की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से विधि विरूद्ध, नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– तहसीलदार मेडता के समक्ष जब यह स्थिति आ गयी कि कटाणी रास्ता जो अपीलांट के खेत के चिपता पश्चिमी तरफ स्थित है उस रास्ता की भूमि पर कथित केसर वगैरा पडौसी खातेदारो का नाजायज कब्जा/अतिक्रमण है व इसकी रिपोर्ट आ चुकी है तो ऐसी स्थिति में उनका यह विधिक दायित्व था कि तुरन्त रास्ता पर जो भी कच्चा पक्का अवैध निर्माण व अवरोध कब्जा अतिक्रमण है उसे हटवा कर वहां रास्ता खुला करवाया जावे, मगर इस प्रकरण में आश्चर्यजनक रूप से आदेश पारित किया है जिसमें अतिक्रमियो को खुला संरक्षण देते हुऐ उनका अतिक्रमण तुरन्त हटाने की कार्यवाही नहीं करके अपीलांट के खेत में से जो गलत रूप से रास्ता बनाया गया था उसे चालू रखने का आदेश पारित किया है जो पत्रावली देखने मात्र से स्पष्ट है कि निरंकुश व विधि विरुद्ध आदेश है इस कारण ऐसे आदेश को स्थिर रखना कतई न्याय संगत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)– उक्त आम कटाणी रास्ता पर सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड मेडतासिटी द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था मगर रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण होने से सड़क निर्माण कार्य नहीं हो सका, जिस पर सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिनांक 18.1.2024 को तहसीलदार मेडता को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया था कि निर्माणाधीन सड़क देशवाल से छापरी पर व्याप्त अतिक्रमण हटाया जावे व यह निवेदन किया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत सड़क देशवाल से छापरी 4 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है इस प्रगतिरत सड़क कार्य में देशवाल की राजस्व सीमा में स्थानीय निवासी काश्तकारो ने निर्माणाधीन सड़क मार्ग पर अनाधिकृत अतिक्रमण करके मार्ग अवरूद्ध कर रखा है

अपर कलक्टर, नागौर

जिससे सड़क निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हो गया है उक्त सड़क का सीमाज्ञान गठित टीम द्वारा दिनांक 03.10.23 को किया जा चुका है जिसके उपरांत भी कटाणी रास्ता पर स्थानीय काश्तकार द्वारा पक्का निर्माण कर रखा है जिस कारण सड़क निर्माण कार्य रूका हुआ है व उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने का निवेदन किया ताकि जनहित में हो रहे सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण किया जा सके। इसके बावजूद तहसीलदार मेडता ने हठधर्मिता अपनाते हुऐ अतिक्रमण हटाने बाबत कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है व उल्टा आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्ध है।

{2}(IV)– अपीलांट ने जिला कलक्टर नागौर के समक्ष भी आवेदन पेश कर रास्ता पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने का आवेदन पेश किया जिस पर जिला कलक्टर नागौर ने दिनांक 29.3.2024 को तहसीलदार मेडता को आदेश दिया कि ओलादन के खसरा नं. 925 गे मु. रास्ता से अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही नियमानुसार बाद जांच करके पालना रिपोर्ट 7 दिन में सुनिश्चित करावे, इसके बावजूद तहसीलदार मेडता ने हठधर्मिता अपनाते हुऐ कोई कार्यवाही नहीं की न पालना रिपोर्ट पेश की और अतिक्रमण रास्ता पर यथावत बना रहा व अपीलांट के खेत में से रास्ता खुला रखने का आदेश एकदम गलत, विधि विरूद्ध पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)– तहसीलदार मेडता द्वारा इस प्रकार अतिक्रमियो के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने से ग्राम पंचायत ओलादन ने उपखण्ड अधिकारी मेडता को उक्त कटाणी रास्ता पर केसरदेवी पत्नी कालूराम द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने हेतु पत्र दिनांक 10.6.2025 को पेश किया, इसके बावजूद तहसीलदार ने उसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया व अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं करके उल्टा अपीलांट के खेत में से रास्ता चालू रखने का गैर कानूनी, अवैध आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)– धारा 251 राज० टि० एक्ट का प्रकरण केवल उसी परिस्थितियो में होता है जब कोई कटाणी रास्ता या कदीमी रास्ता को बंद कर दिया जाता है, किसी खातेदार की खातेदारी भूमि में नया रास्ता कायम करने व उसके चिपता स्थित कटाणी रास्ता पर अतिक्रमण होने की जानकारी होते हुऐ भी उनके अतिक्रमण को बचाने के लिए खातेदार की खातेदारी की भूमि में से रास्ता चालू रखने का आदेश दिये जाने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है इसके बावजूद विधि विरूद्ध निरंकुश आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो हर दृष्टि से अवैध है अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}– राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश विधिसम्मत किया है, जिससे यथावत रखा जाना चाहिए एवं उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा प्रकरण सं. 02/2025 अनवान सरकार बनाम भंवरूराम में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2025 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि मौजा ओलादन के खसरा नम्बर 931 के सीमाज्ञान हेतु पूर्व में भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर की रिपोर्ट, उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के पत्थरगढ़ी के आदेश, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर (सिविल रिट पिटीशन संख्या 4621/2025) के आदेश दिनांक 03.03.2025 द्वारा जारी निर्देशों एवं जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 29.03.2024 के माध्यम से खसरा नम्बर 925 गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण हटाने के विधिक निर्देश मौजूद हैं, जिन्हे नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्वरित रूप से अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 931 में से रास्ता स्वीकृत करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया। इस न्यायालय का मत है कि बिना मूल कटाणी रास्ते की विधिक सीमा तय किए और पूर्व में उच्च स्तर से जारी पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान की विधिक स्थिति का वास्तविक मिलान किए बिना, धारा 251 के तहत किसी खातेदार की निजी भूमि पर रास्ता स्वीकृत करना प्राकृतिक न्याय व विधिक सिद्धांतों के विपरीत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, मेडता द्वारा प्रकरण सं. 02/2025 निर्णय दिनांक 06.06.2025 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है निष्पक्ष राजस्व टीम से पुनः सीमाज्ञान व मौका मुआयना करवाएं तथा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर